न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 26/2023	तारीख रजू 31.01.2024	निर्णय दिनांक 28.02.2024

सरकार बनाम शिवली मीना

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि शिवली मीना पुत्र सरवण जाति मीना निवासी सोप तह0 नादौती ने ग्राम उदेई कलां स के खसरा नं. 5826 रकबा 414.8 वर्गमीटर किस्म चाही व जाव 1 पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से चारदीवारी कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल की द्वारा न्यायालय में उपस्थित जवाब इस आशय पेश किया कि उक्त मंदिर माफी में मेरे नाम से कोई भूखण्ड नहीं है एवं प्रार्थी ने किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं किया है।। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव की जाँच भू अभिलेख निरीक्षक उदेई कलां से करवायी गयी। भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त जाँच रिपोर्ट अनुसार मौके पर अतिक्रमण पाया गया जिसमें पक्का निर्माण होना बताया है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

गैरसायल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करना अवगत कराया है। भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त जाँच रिपोर्ट एवं उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध अतिचार किया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभयपक्षकारान को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से वेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1.26/– की 50 गुना शास्ति 63/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या .18....
पर रुपये 63/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार